राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक–एफ 165(12)पराविं/लैब/ते.वि.आ./10/ 15172 जयपुर, दिनांक 08.11.2010

जिला कलक्टर, समस्त

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति समस्त।

विषयः– तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशानुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा निर्देश।

विषयान्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग की अनुसंशा के अन्तर्गत प्रदत्त अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायें जा रहे है। दिशा निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री महोदय, पंचायती राज एवं ग्रा. विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज एवं ग्रा. वि. विभाग, राज. जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को दो प्रतियों में।
4. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय (विकास) राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय (वित्त) राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय पंचायती राज विभाग जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
11. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
13. विशेषाधिकारी (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात डिविजन) वित्त विभाग, राज. जयपुर।
14. लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त

13 वां वित्त आयोग

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

प्रस्तावनाः–

तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2010–15 (5 वर्ष) है । राजस्थान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से सामान्य बुनियादी अनुदान, सामान्य निष्पादन अनुदान तथा विशेष क्षेत्र सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान का प्रावधान किया गया है। सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान का वर्ष 2011–12 से प्रावधान किया गया है।

सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान के लिए आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न मानदण्डों को पूर्ण करना आवश्यक होगा ।

उद्देश्यः–

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान से पूर्ण किये जाने वाले प्रमुख कार्य/उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करने हेतु आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।
2. ग्रामीण स्वच्छता एवं मलजल व्यवस्था ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की व्यापक अवधारणा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों तथा विद्यालयों आदि में स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु शौचालयों/मूत्रालय का निर्माण कराने, ग्रामीण परिवारों के आवास गृहों में निजी शौचालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट का सुरक्षित ढ़ग से निपटान, ग्रामीण वातावरण में सामान्य साफ–सफाई और स्वच्छता बनायें रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। स्ट्रीट लाईटों को सेवा के स्वीकार्य स्तर पर मुहैया कराना।
3. पंचायती राज संस्थाओं में डाटाबेस सृजन और पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उपयुक्त संधारण की व्यवस्था करना।
4. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित परिसम्पत्तियों का रखरखाव तथा समुचित संधारण करना ।

कार्यकारी ऐजेन्सीः–

तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत ही होगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति उक्त अनुदान के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

राशि का अन्तरणः–

पंचायती राज संस्थाओं हेतु 13 वें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त राशि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के 33 जिलो हेतु राशि आवंटन के संबंध में निर्धारित किये गये जिलेवार भारांकन के आधार पर प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कुल राशि की 3% राशि जिला परिषदों के पी.डी.खातों में एवं 12% राशि पंचायत समितियों के पीडी खातों में तथा 85% का आवंटन ग्राम पंचायतों को बैंकिग चैनल से बैंक खातों में किया जावेगा । जिसमें पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को राशि का वितरण वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा। पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को होने वाले अन्तरण की पंचायत समितिवार सूचना विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा लेखाधिकारी जिला परिषद को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।

जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को उक्तानुसार उपलब्ध करायी जाने वाली क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत राशि का उपयोग ऐसी ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा जिनमें जनसंख्या के अनुपात में उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाली राशि उन ग्राम पंचायतों की पेयजल एवं स्वच्छता की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और 13 वे वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि/संसाधन की मांग ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद से की जायेगी, जिसका परीक्षण संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद 13 वें वित्त आयोगके दिशा–निर्देशों में अंकित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत को अतिरिक्त राशि/संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। अतिरिक्त राशि/संसाधन का आवंटन करते समय जिला परिषद एवं पंचायत समितियॉ यह अवश्य ध्यान में रखेंगे कि उक्तानुसार किये जाने वाले अतिरिक्त आवंटन से ग्राम पंचायतों में सामान्य तौर पर समानुपातिक विकास हो सके।

पंचायती राज संस्थाओं को 13 वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त होने वाली राशि के आवंटन एव उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार रहेगी:–

1. वित्तीय वर्ष 2010–11 के विरूद्व तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त प्रथम किस्त की राशि रूपये 183.34 करोड़ सामान्य बुनियादी अनुदान एवं 169.29 लाख विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान का अन्तरण पंचायती राज संस्थाओं को माह जुलाई 2010 में किया जा चुका है तथा आगामी किस्तों का वितरण तेरहवें वित्त आयोग के तहत पूर्व में आवंटित किस्त/किस्तों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्राप्त होने के उपरान्त ही पंचायती राज संस्थाओं को किया जायेगा।

2. ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतों से प्राप्त करने और पंचायती राज विभाग को प्रस्तुत करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित करने हेतु विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति उत्तरदायी होंगे।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का यह दायित्व होगा कि जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर पंचायती राज विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जावे।

<u>सम्पादित कराये जाने वाले कार्यः–</u>

तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग के लिए योजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कार्य कराये जा सकेगें :–

1. पेयजल आपूर्ति हेतु कुंओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण।
2. बावड़ियों, टांकों, कुओं, पनघट, हैंडपम्प आदि जिनसे पेयजल आपूर्ति हो सुदृढ हो सके, का जीर्णोद्धार/निर्माण/संवर्धन/तथा खराब हैण्डपम्पों का उचित संधारण कराना।
3. पेयजल संग्रहण स्थानों जैसे कुएँ, पानी की टंकियाँ इत्यादि से ग्रामीण जन के आवासों/शिक्षण संस्थाओं/सामुदायिक भवनों आदि तक पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक पाईपलाईन बिछाने की व्यवस्था करना।
4. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सार्वजनिक शौचालयों/चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6. पंचायत क्षेत्रों में गदें पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण।
7. तरल एवं ठोस अपशिष्ठ के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक, प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
9. पंचायत क्षेत्र में कूडें करकट के निपटान एवं सामान्य साफ–सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना।
10. पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित हाने की संभावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फैलने का अंदेशा हो, का चिह्नीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और यदि कही हो तो, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
12. भूमिगत जलस्त्रोंतो से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जलसंग्रहण करने हेतु यदि आवश्यकता प्रतीत होती हो तो, यंत्र/मोटर के संधारण की उचित व्यवस्था करना।
13. पचायती राज संस्थाओं को अभी हस्तांतरित कार्यों/क्रिया–कलापों के क्रियान्वयन की तैयारी के लिए व्यवस्था करना।
14. ऐसे अन्य कार्य जिनसे तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों में उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके।

कार्यो की स्वीकृति एवं सम्पादन संबंधी व्यवस्थाः–

1. ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जावेंगे। ग्राम सभा द्वारा वरीयता के क्रम में अनुमोदित कार्यो की सूची संबंधित पंचायत समिति को प्रस्तुत की जावेगी। जिसको दृष्टिगत रखते हुए पंचायत समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाकर संबंधित जिला परिषद को प्रस्तुत की जाएगी । उक्त प्रकिया हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 174 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।.
2. वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के उपरान्त सर्वप्रथम प्रत्येक कार्य की नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति ली जावेगी, तदुपरान्त तकनीकी स्वीकृति तथा तत्पश्चात् ही कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के अधिकतम एक माह के भीतर पंचायतों द्वारा कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।
3. योजनान्तर्गत कार्यो का संपादन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 में अंकित तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप ही किया जायेगा एवं प्राधिकारियों की प्रशासनिक/तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने की सक्षमता/शक्तियां ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के अनुरूप ही रहेंगी। तथापि यह अनिवार्य होगा कि जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के स्तर पर जारी होने वाली वित्तीय स्वीकृतियों के लिए कमशः लेखाधिकारी, जिला परिषद और लेखाकार पंचायत समिति से वित्तीय राय ली जाएगी।
4. ग्राम पंचायतों द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का मासिक लेखा पंचायत समिति को आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

विशेषः– पंचायती राज विभाग द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के संबंध में उक्त दिशा–निर्देश इस प्रमुख उद्देश्य के साथ जारी किये जा रहे है कि पंचायती राज संस्थाऐं अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता एवं स्वच्छता संबंधी विषयों पर उचित निर्णय ले सके तथा इन विषयों पर ग्रामीण क्षेत्रों में वांछित समग्र सुविधाएँ उपलब्ध करा सके। यदि दिशा–निर्देशों के किसी भी बिन्दु के संबंध में कोई प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो यथाशीघ्र उसे फैक्स/ई–मेल/पत्र के माध्यम से विभाग की जानकारी में लाया जाये ताकि बिना किसी विलम्ब के शंका का समाधान किया जा सके।

उपरोक्त दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आई. डी. संख्या 121000303 दिनांक 4.11.2010 से अनुमोदित है।